

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

संजय ठाकुर

बनाम

बिहार राज्य

2016 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 496

08 मई, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार और माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीष कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलकर्ता की धारा 364 (ए) भा.दं.सं. के अंतर्गत फिरोती हेतु अपहरण की दोषसिद्धि साक्ष्यों के आधार पर उचित थी?

हेडनोट्स

मामले की सूचना पुलिस को देने में किसी प्रकार की देरी नहीं हुई। अ.सा.-1 द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी बिना किसी अतिशयोक्ति के प्रतीत होती है। घटनाक्रम में ऐसा कोई दोष नहीं है जिसके आधार पर इसे अस्वीकार किया जा सके। (कंडिका 29)

पीड़ित को कभी भी आँख पर पट्टी नहीं बाँधी गई और न ही यह बताया गया कि वह अपीलकर्ता की कैद में है। केवल तब, जब सभी लोग नेपाल पहुँचे और पीड़ित को एक झोपड़ी में रखा गया, जिसकी चार व्यक्तियों द्वारा पहरेदारी की जा रही थी, तब उसे यह आभास हुआ कि उसका अपहरण कर बंधक बनाया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि अज्ञात स्थान पर ले जाए जाते समय उसने कोई शोर-शराबा नहीं किया। (कंडिका 31)

यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं है कि अपीलकर्ता ने पीड़ित के अपहरण/किडनैपिंग में सक्रिय भूमिका निभाई थी, ताकि उसके पिता से धन वसूला जा सके। अपील खारिज की जाती है। (कंडिका 34, 38)

न्याय दृष्टान्त

निर्णय में उल्लेखित नहीं।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

मुख्य शब्दों की सूची

फिरौती हेतु अपहरण; अपहरण; नेपाल में बंदीकरण; फिरौती की मांग; प्रत्यक्षदर्शी गवाही;

धारा 364 (ए) भा.दं.सं.; आजीवन कारावास

प्रकरण से उत्पन्न

थाना कांड सं. 28 / 2010, जिला सीतामढ़ी।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी की ओर से: श्री उमाशंकर प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री कमला कांत तिवारी, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्रीमती एस.बी. वर्मा, सहायक लोक अभियोजक

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.496

थाना कांड सं- 28 वर्ष-2010 थाना- सीतामढ़ी जिला- सीतामढ़ी से उद्भूत

=====

संजय ठाकुर, पिता स्वर्गीय रामचंद्र ठाकुर, निवासी गाँव- बड़ी सिंहवाहिनी, थाना सोनवर्सा,
जिला- सीतामढ़ी

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.... ...प्रतिवादी/ओं

=====

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री उमा शंकर प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री कमला कांत तिवारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/यों के लिए : सुश्री एस.बी. वर्मा, सहायक लोक अभियोजक

=====

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीष कुमार

मौखिक निर्णय

(द्वारा- माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

दिनांक: 08-05-2023

श्री उमा शंकर प्रसाद, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें श्री कमला कांत तिवारी, विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई, एकमात्र अपीलकर्ता की ओर से, और सुश्री शशि बाला वर्मा को राज्य की ओर से को सुना गया।

2. अपीलकर्ता पर उमा कांत कुमार का अपहरण करने का आरोप लगाया गया है, पीड़ित जो इस मामले में अ.सा. 4 के रूप में परीक्षित हुए हैं। अ.सा. 4 लगभग दस दिनों तक बंधक अवस्था में रहे और उन्हें नेपाली पुलिस द्वारा बरामद कर अ.सा. 4 के पिता जिनका नाम दयानंद महतो (अ.सा. 3) है को न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किया गया।

3. अपीलकर्ता के विरुद्ध एक अन्य व्यक्ति के साथ आरोप पत्र दाखिल किया गया था, किन्तु उक्त अन्य व्यक्ति ने कभी विचारण का सामना नहीं किया। आरोपपत्र में अन्य व्यक्तियों के नाम भी अंकित थे, जिन्हें फरार दिखाया गया तथा जिन्होंने अब तक विधि की प्रक्रिया के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया, फलस्वरूप केवल अपीलकर्ता का ही विचारण किया गया।

4. यह भी प्रासंगिक है कि अपीलकर्ता, यद्यपि प्राथमिकी में नामजद था, तथापि उसने भी विधि की प्रक्रिया के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। आरोप पत्र दाखिल होने तथा उसके फरार घोषित किए जाने के उपरांत ही उसने बहुत बाद में आत्मसमर्पण किया।

5. फिर भी, विचारण न्यायालय ने अभियोजन की ओर से आठ गवाहों की जांच करने और बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह न होने के बाद, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (ए) के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न चुकाने की स्थिति में छह महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।

6. प्राथमिकी पीड़ित के पिता दया नंद महतो द्वारा 17.01.2010 को दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता 14.01.2010 को उनके घर आया था और उनके बेटे (पीड़ित) से बातचीत की थी और फिर घर से चला गया था। वह 15.01.2010 को फिर से आया और किसी बहाने से उनके बेटे को ले गया, जिसके बाद सूचनाकर्ता के बेटे का कोई पता नहीं चला। अपने बेटे के लौटने की प्रतीक्षा करने के बाद, दो दिन बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत उक्त प्राथमिकी दर्ज की गई।

7. उपर्युक्त प्राथमिकी में यह तथ्य विशेष रूप से उल्लिखित है कि अपीलकर्ता दिनांक 14.01.2010 को सूचक के घर आया था और उसने पीड़ित से वार्ता की थी। यह भी विशेष रूप से उल्लेखित है कि अपीलकर्ता दिनांक 15.01.2010 को सूचक के पुत्र को ले जाने

के लिए आया था। सूचक ने आगे यह भी कहा है कि उसने अपीलार्थी को उसके मोबाइल टेलीफोन नंबर पर कॉल किया, किन्तु वह हमेशा बंद पाया गया। अतः उसके गुमशुदा पुत्र की बरामदगी हेतु पुलिस अधिकारियों से निवेदन किया गया।

8. उपर्युक्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर, सीतामढ़ी थाना कांड सं. 28/2010, दिनांक 17.01.2010 को भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के अंतर्गत अपराध की जाँच हेतु दर्ज किया गया।

9. पुलिस द्वारा जाँच के क्रम में कोई सुराग प्राप्त नहीं हो सका तथा अपीलकर्ता को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

10. इस अवधि के दौरान अपीलकर्ता अपने घर से अनुपस्थित पाया गया।

11. लगभग दस दिन बाद अर्थात् दिनांक 25.01.2010 को, पीड़ित को नेपाल पुलिस द्वारा एक गाँव से बरामद किया गया तथा चार अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया, जो भारी हथियारों से लैस थे और पीड़ित पर निगरानी रखे हुए थे। उन व्यक्तियों में से किसी को भी भारत में विचारण का सामना करने हेतु प्रत्यर्पित नहीं किया गया है। जैसा कि उपर्युक्त उल्लेखित है, पीड़ित को नेपाल पुलिस द्वारा भारत लाया गया और अ.सा.-3 के सुपुर्द कर दिया गया।

12. पीड़ित की माता, राम कुमारी देवी (अ.सा.-1) ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया कि अपीलकर्ता 14.01.2010 को उसके घर आया था और तत्पश्चात् 15.01.2010 को एक अन्य व्यक्ति के साथ आया तथा उसके पुत्र को ले गया। उसने यह भी कहा कि उसे अपने पति (अ.सा.-3) से ज्ञात हुआ कि 50 लाख रुपये की फिरोती माँगी गई है और यह धमकी दी गई कि यदि उक्त धनराशि नहीं दी गई तो उसके पुत्र की हत्या कर दी जाएगी। तथापि, उसने विचारण न्यायालय के समक्ष यह भी कहा कि पीड़ित को तब ले जाया गया जब वह प्रांगण में खेल रहा था, यह कथन उस प्राथमिकी से काफी अलग है जिसमें उनके पति ने कहा था कि पीड़ित को अपीलकर्ता उसके घर से ले गया था।

13. पीड़ित के बड़े भाई, महाकांत कुमार (अ.सा.-2), ने भी इसी तरह का बयान दिया है। उन्होंने अपीलकर्ता के उनके घर दो दिनों तक आने और दूसरे दिन के दौरे पर पीड़ित को ले जाने के तथ्य की पुष्टि की।

14. सूचनाकर्ता/पीड़ित के पिता से अ.सा. 3 के रूप में पूछताछ की गई, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन किया तथा बताया कि दो दिनों तक जब उनका बेटा नहीं मिला, तो उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी काफी खोजबीन की तथा उसके बाद ही मेहसौल ओ.पी. में भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया।

15. प्राथमिकी दर्ज होने के एक दिन बाद अपीलकर्ता ने उसे टेलीफोन पर कॉल किया और उनके पुत्र की रिहाई के लिए 50 लाख रुपये की माँग की, अन्यथा उसकी हत्या करने की धमकी दी। तत्क्षण इस तथ्य की सूचना संबंधित पुलिस को दी गई और पुलिस पदाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से संपर्क साधा। किन्तु, इसी बीच उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका पुत्र नेपाल पुलिस के प्रयास से बरामद हो चुका है और उसे पुत्र की अभिरक्षा ग्रहण करने के लिए कहा गया। तब से उनका पुत्र उसी के साथ रह रहा है। अपनी प्रति-परीक्षण में उन्होंने यह भी पुष्ट किया कि पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका पुत्र 25.01.2010 को संध्या में नेपाल में बरामद हुआ था।

16. पीड़ित को सर्वप्रथम सीतामढ़ी, मेहसौल ओ.पी. लाया गया, जहाँ से उसे अ.सा.-3 के साथ भेजा गया। अगले दिन उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और तब से वह अपने पिता के साथ रह रहा है। स्थानीय पुलिस, जो मामले की जाँच कर रही थी, ने उनसे वह मोबाइल टेलीफोन नहीं माँगा, जिस पर फिरौती का कॉल आया था। उसने इस बात से भी इंकार किया कि उन्होंने प्राथमिकी अथवा न्यायालय में कोई असत्य कथन किया है।

17. पीड़ित को अ.सा.-4 के रूप में परीक्षित किया गया, जिसने पुनः यह आरोप दोहराया कि 15.01.2010 को संध्या लगभग 5 बजे अपीलकर्ता ने उसे डुमरा आने के

लिए कहा। वह अपीलकर्ता के साथ गया और कुछ दूरी तय करने के पश्चात उसने देखा कि पंकज सिंह नामक व्यक्ति अपीलकर्ता की प्रतीक्षा कर रहा था, जो एक मोटरसाइकिल पर था। अपीलकर्ता, पीड़ित तथा उक्त पंकज सिंह उसी मोटरसाइकिल से लखनदेई नदी पार करते हुए नेपाल के एक स्थान पर पहुँचे, जहाँ उसे एक झोपड़ी में रखा गया। वहाँ उसकी उपस्थिति में उसके पिता को टेलीफोन पर कॉल कर 50 लाख रुपये की फिरौती माँगी गई। जब अभियुक्तगण उसके पिता से बात कर रहे थे, तब उसे क्षति पहुँचाने की धमकी दी गई क्योंकि अभियुक्तों में से एक ने उस पर पिस्तौल तान रखी थी। उसने यह दावा किया कि उसने अपना कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दण्डाधिकारी के समक्ष दिया। लगभग 4 से 5 व्यक्ति सदैव झोपड़ी के निकट रहकर उसकी निगरानी करते थे। वह नवीन कुमार यादव, सुनील कुमार यादव, रामजी यादव एवं राम प्रवेश पासवान के नाम याद रख सका। (अभिलेखों से यह प्रकट होता है कि उपर्युक्त चार व्यक्तियों को नेपाल पुलिस ने शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया था)।

18. घटना के समय, पीड़ित कक्षा 5 का छात्र था। जब उसे लखनदाई नदी के रास्ते नेपाल ले जाया जा रहा था, तब उसने कोई शोर नहीं मचाया था।

19. आश्चर्यजनक रूप से, चार पुलिस पदाधिकारियों ने क्रमशः इस मामले की जाँच में भाग लिया, संभवतः बीच में उनके तबादले हो जाने के कारण। उन्हें अ.सा.-5 से अ.सा.-8 के रूप में परीक्षित किया गया है, जिनमें से किसी ने प्राथमिकी दर्ज की, किसी ने गवाहों के बयान लिए और किसी अन्य ने आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। जब तक जाँच चलती रही, जैसा कि उपर्युक्त वर्णित है, अपीलकर्ता ने विधि की प्रक्रिया के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। उसने केवल आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हो जाने के बाद आत्मसमर्पण किया और जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया। तब से अपीलकर्ता कारागार में है। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 313 के अंतर्गत अपीलकर्ता का कथन दर्ज किया गया।

जिन परिस्थितियों का उसे सामना करना पड़ा, उन सभी पर उसने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया बल्कि बार-बार आरोपों का मात्र खंडन किया।

20. गवाहों के कथन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने पीड़ित को नेपाल के एक स्थान पर ले जाकर वहाँ दस दिनों तक बंधक बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाई। अपीलकर्ता द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका सभी गवाहों द्वारा, यहाँ तक कि स्वयं पीड़ित द्वारा भी, पुष्टि की गई है। अ.सा.-1, अ.सा.-2 और अ.सा.-3 ने स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि अपीलकर्ता 14.01.2010 को उनके घर आया था और तत्पश्चात 15.01.2010 को भी आया तथा पीड़ित को अपने साथ ले गया। इसके बाद अपीलकर्ता कभी दिखाई नहीं दिया, यहाँ तक कि आरोप-पत्र प्रस्तुत होने तक जाँच की अवधि में भी नहीं। फलस्वरूप, उसकी संपत्ति कुर्क की गई और उसे स्थायी रूप से फरार घोषित किया गया।

21. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उमा शंकर प्रसाद ने प्रस्तुत किया है कि कुछ स्पष्ट तथ्य हैं जो अभियोजन के संस्करण की शुद्धता पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दोषसिद्धि केवल पीड़ित के धारा 164 के बयान पर आधारित है, जिसे पीड़ित ने कोर्ट के समक्ष अपनी गवाही में जानबूझकर समर्थन दिया है, जिसके कारण अपीलकर्ता को ज्ञात नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह काफी असंभाव्य प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता, जो उसी क्षेत्र से है, इतनी हिम्मत दिखाएगा कि वह एक दिन पहले पीड़ित को ले जाने से पहले टोह लेने आए और फिर अगले दिन उसे घर से किसी अज्ञात स्थान पर ले जाए। वे कहते हैं कि और भी आश्चर्यजनक यह है कि अभियोजन के मामले के अनुसार, उसने अ.सा.-1 को फोन किया और पीड़ित की रिहाई के लिए 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी।

22. उपर्युक्त कथा कुछ विचित्र प्रतीत होती है। उनका यह भी कहना है कि लिखित प्रतिवेदन अ.सा.-1 की हस्तलिपि में लिखा हुआ नहीं लगता। अभियोजन की सत्यता पर संदेह इस आधार पर भी किया गया कि जब घर का 13 वर्षीय बालक लापता था, तब भी

प्राथमिक दो दिन की देरी के बाद दर्ज की गई और यह बेटुका स्पष्टीकरण दिया गया कि परिवार के सदस्य पीड़ित के आने का इंतजार कर रहे थे और पड़ोस में उसकी तलाश की जा रही थी।

23. अपीलकर्ता की ओर से उठाया गया अन्य आधार यह है कि जांच करने वाली पुलिस कभी भी पीड़ित की बरामदगी के लिए नेपाल नहीं गई और नेपाल के उपनगर में एक झोपड़ी में पीड़ित की रखवाली करने वाले व्यक्तियों को कभी मुकदमे में नहीं लाया गया। पीड़ित उस स्थान पर किस लेन-देन के तहत पहुंचा, यह ज्ञात नहीं है। यह सच है कि उसे नेपाल पुलिस की मदद से बरामद किया गया था, लेकिन लड़के की बरामदगी के समय अपीलकर्ता का नेपाल में मौजूद न होना अभियोजन के इस मामले पर और संदेह पैदा करता है कि अपीलकर्ता ने पीड़ित का अपहरण/अपकर्षण किया था।

24. सर्वोत्तम स्थिति में, श्री प्रसाद का तर्क है कि यदि अ.सा.- 1, 2 और 3 के बयानों का निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए, तो अपीलकर्ता के खिलाफ एकमात्र साक्ष्य यह होगा कि उसे आखिरी बार पीड़ित के साथ बाहर जाते हुए देखा गया था।

25. यद्यपि श्री प्रसाद द्वारा यह दर्शाने का कुछ प्रयास किया गया है कि अ.सा. 2 के पास अपीलकर्ता को झूठा फंसाने के कारण थे, लेकिन बाद में ऐसे प्रयास छोड़ दिए गए। अपीलकर्ता यह बताना चाहता था कि उसके और अ.सा. 1 के बीच कुछ द्वेष था क्योंकि उसने अतीत में, बिना भुगतान के नाई के रूप में काम करने से इनकार कर दिया था। अन्यथा, यह अपीलकर्ता द्वारा परिवार के बेटे का अपहरण करने या अ.सा. 1, 2, 3 और 4 द्वारा अपीलकर्ता को झूठा फंसाने का एक बहुत ही कमजोर कारण प्रतीत होता है।

26. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री शशि बाला वर्मा ने इसके विपरीत तर्क दिया है कि दोषसिद्धि केवल पीड़ित के धारा 164 के बयान पर आधारित नहीं है, जिसे किसी भी तरह से साक्ष्य का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। पीड़ित ने स्पष्ट रूप से गवाही दी है कि उसे अपीलकर्ता द्वारा उसके घर से डुमरा जाने के लिए ले जाया गया था।

रास्ते में, एक अन्य व्यक्ति मोटरसाइकिल पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर नेपाल पहुंचे, जहां पीड़ित को एक छप्पर वाले घर में बंद रखा गया। पीड़ित ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उस पर हमला किया गया था और अपीलकर्ता और अन्य लोगों द्वारा उसकी देखभाल नहीं की गई।

27. अतः, अपीलकर्ता द्वारा इंगित की गई सभी असंगतियाँ पृष्ठभूमि में चली जाती हैं।

28. एक लड़के के लिए, जो विचारण के समय 15 वर्ष का हो चुका था, अपीलकर्ता के खिलाफ झूठी गवाही देने का कोई कारण नहीं है। यदि वह गलत बयान दे रहा होता, तो वह उस झोपड़ी में अपीलकर्ता की उपस्थिति के बारे में बोलता, जहां उसे बंद रखा गया था। उसने केवल इतना कहा है कि अपीलकर्ता ने किसी बहाने से उसे डुमरा ले गया और रास्ते में एक पंकज सिंह को साथ लिया और उसकी मोटरसाइकिल का उपयोग करके नेपाल गए। अपीलकर्ता की उपस्थिति केवल एक दिन के लिए नेपाल में दर्ज की गई है, जब उसने अ.सा.-1 को फोन करके पीड़ित की रिहाई के लिए 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। यह भी बताया गया है कि यदि अ.सा.-1 का अपीलकर्ता को झूठा फंसाने का कोई इरादा होता, तो पहले दिन ही भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई होती। परिवार के सदस्यों ने दो दिन तक इंतजार किया, यह उम्मीद करते हुए कि परिवार का बेटा लौट आएगा, लेकिन जब उसका कुछ पता नहीं चला, तो प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत। यह अत्यंत उचित था क्योंकि अपीलकर्ता पीड़ित के साथ गया था, जिसके बाद न तो पीड़ित और न ही अपीलकर्ता का कुछ पता चला।

29. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और इस मामले के पूरे अभिलेख की जांच करने के बाद, हम पाते हैं कि मामले की पुलिस को सूचना देने में कोई देरी नहीं हुई है। सामान्य रूप से, यदि परिवार का कोई नाबालिग सदस्य एक दिन तक नहीं मिलता,

तो हमेशा एक तीव्र गतिविधि होती है और पुलिस को सूचित किया जाता है। वर्तमान मामले में, पीड़ित के लौटने की प्रतीक्षा में दो दिन का इंतजार ऐसी देरी नहीं है जो अभियोजन के संस्करण को पूरी तरह से अविश्वसनीय बना दे। अ.सा.-1 द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कोई अतिशयोक्ति नहीं प्रतीत होती। अ.सा.-1 का इरादा केवल अपने नाबालिग बेटे की रिहाई या बरामदगी सुनिश्चित करना था। इसके तुरंत बाद, अपीलकर्ता द्वारा स्वयं एक फिरौती का कॉल आया, जिस तथ्य की तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि, पुलिस कार्रवाई में आसकी और पीड़ित को नेपाल से बरामद किया गया। इस कहानी में कोई कमी नहीं है कि इसे खारिज किया जाए। अ.सा.-3 अपीलकर्ता को पहले से जानता था, जो इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि उसे अपीलकर्ता का टेलीफोन नंबर याद था, जिस पर कॉल करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह बेकार रहा क्योंकि टेलीफोन चालू स्थिति में नहीं रखा गया था। अभियोजन की कहानी में कोई कमी प्रतीत नहीं होती, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए यह बहुत स्वाभाविक है कि वह किसी परिचित व्यक्ति के इरादों पर संदेह न करे।

30. 14.01.2010 को और इसके बाद 15.01.2010 को पीड़ित और अपीलकर्ता के बीच क्या बातचीत हुई और पीड़ित ने अपीलकर्ता के साथ जाने के लिए क्यों सहमति दी, वह भी अपने परिवार के सदस्यों से पूछे बिना, यह अभियोजन के मामले पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है। एक युवा लड़का हमेशा पड़ोसी देश की चमकदार रोशनी देखने के लिए घर से बाहर जाने के लिए सहमत हो सकता है। परिवार के सदस्यों के मन में हमेशा यह अपेक्षा रहती है कि छोटी यात्रा के लिए घर से बाहर जाने वाला व्यक्ति वापस आ जाएगा। परिवार के सदस्यों, जिसमें अ.सा.-1, 2 और 3 शामिल हैं, के मन में कोई संदेह नहीं था कि अपीलकर्ता ने पीड़ित का अपहरण करने का इरादा रखा था। भा.दं.सं. की धारा 365 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होने के केवल एक दिन बाद ही सूचनाकर्ता (अ.सा. 3) को फिरौती का कॉल आया।

31. हमने इस तथ्य पर गंभीर विचार किया है कि पीड़ित को नेपाल ले जाए जाने के दौरान उसने कोई हंगामा नहीं किया। हालांकि, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का निकटता से विश्लेषण करने पर यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। पीड़ित को कभी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी गई या यह सूचित नहीं किया गया कि वह अपीलकर्ता की कैद में है। स्वेच्छा से, पीड़ित ने अपीलकर्ता के साथ जाना स्वीकार किया था। यहां तक कि जब अपीलकर्ता का एक सहयोगी रास्ते में उनसे मिला, तो पीड़ित को उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। यह केवल तब हुआ जब वे सभी नेपाल पहुंचे और पीड़ित को एक झोपड़ी में रखा गया, जिसकी चार व्यक्तियों द्वारा रखवाली की जा रही थी, तब उसे एहसास हुआ कि उसे अपहरण के बाद बंदी बना लिया गया है। इस स्थिति में, यह काफी स्वाभाविक है कि उसने किसी अज्ञात स्थान पर ले जाए जाने के दौरान कोई हंगामा नहीं किया।

32. हमने यह देखने के लिए सभी साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है कि क्या अ.सा.-4 की बरामदगी के समय अपीलकर्ता को नेपाल में गिरफ्तार किया गया था।

33. यद्यपि हमें अ.सा.-4 की बरामदगी के समय नेपाल में उसकी उपस्थिति के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन यह अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुक्त नहीं करता, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि अ.सा.-1, 2, 3 ने अपीलकर्ता को अ.सा.-4 के साथ घर से बाहर जाते देखा था और इसके बाद उसकी ओर से एक रहस्यमय चुप्पी थी। उसने अपना टेलीफोन चालू स्थिति में नहीं रखा। उसने अगले दिन ही अ.सा.-3 को 50 लाख रुपये की मांग के साथ फोन किया।

34. इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं है कि अपीलकर्ता ने पीड़ित के पिता से पैसे लेने के उद्देश्य से अपहरण/अपकर्षण में सक्रिय भूमिका निभाई थी। एक गांव के नाई के लिए इतने दिनों तक फरार रहने और केवल अपनी संपत्ति के कुर्क होने के बाद, जब उसे भगोड़ा घोषित किया गया, तब प्रकट होने का क्या कारण हो सकता है। अपीलकर्ता ने विचारण के दौरान इस अवधि में अपनी अनुपस्थिति को समझाने का कोई

प्रयास नहीं किया। इसके अलावा, हमें अ.सा.-4 द्वारा दी गई गवाही की शुद्धता और उसके द्वारा अपीलकर्ता की पहचान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। वे अजनबी नहीं हैं। अपीलकर्ता परिवार को पहले से जानता प्रतीत होता है। पीड़ित का विश्वास तब धोखा दिया गया जब उसे नेपाल के उपनगर में एक झोपड़ी में बंद किया गया।

35. इस प्रकार, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप के संबंध में सभी पहलुओं से साक्ष्य पूर्ण हैं। पीड़ित के परिवार को उसकी रिहाई के लिए पैसे देने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई अन्य उद्देश्य नहीं हो सकता था। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (ए) के दायरे में आता है, जो केवल दो दंडों का प्रावधान करता है, अर्थात् मृत्युदंड या आजीवन कारावास।

36. यह तथ्य कि पीड़ित ने अपीलकर्ता को उसकी कैद के दौरान फिरौती का कॉल करने वाले के रूप में पहचाना और उसका स्पष्ट बयान कि कैद के दौरान उस पर हमला किया गया और उसे नियमित रूप से शारीरिक नुकसान की धमकी दी गई, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (ए) के अंतर्गत अपराध के तत्वों को और पुष्ट करता है।

37. उपर्युक्त कारणों से, हमें विचारण न्यायालय के उस निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (ए) के अंतर्गत दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कठोर कारावास, 20,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न चुकाने की स्थिति में छह महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

38. इस प्रकार, अपील खारिज की जाती है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(हरीष कुमार, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।